

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला पन्ना (म.प्र.)

(दूरभाष नं. 07732-252003, -फैक्स नं. 07732-252002)

-: आदेश :-

पन्ना, दिनांक 05/04/2020

नरवाई में आग लगाने के कारण होने वाली अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 की उपधारा (10),(18) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पन्ना जिला की राजस्व सीमाओं के अंदर निम्नानुसार आदेश जारी करता हूँ:-

1- पन्ना जिले की सीमा के अंदर नरवाई जलाने एवं खेतों में आग लगाना, पूर्णतः प्रतिबंध होगा।

समस्त संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने अनुभाग क्षेत्र में उक्त आदेश का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे एवं उक्त निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(कर्मवीर शर्मा)

कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी  
जिला पन्ना मध्यप्रदेश

पन्ना, दिनांक 05/04/2020

पृ.क्रमांक/ 626 /रीडर/2020  
प्रतिलिपि :-

- 1- कमिश्नर सागर, संभाग सागर म.प्र.।
  - 2- पुलिस अधीक्षक, जिला पन्ना समस्त थाना प्रभारियों को आदेश प्रति भेजने एवं आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करे।
  - 3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत पन्ना जिला पन्ना म.प्र.।
  - 4- अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला पन्ना म.प्र.।
  - 5- अति. पुलिस अधीक्षक, पन्ना जिला पन्ना म.प्र.।
  - 6- समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिला पन्ना
  - 7- समस्त अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), जिला पन्ना।
  - 8- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला पन्ना।
  - 9- समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी जिला-पन्ना म.प्र.।
  - 10- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, पन्ना जिला पन्ना की ओर प्रकाशनार्थ।
  - 11- प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, पन्ना जिला पन्ना म.प्र.।
  - 12- प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी कलेक्ट्रेट पन्ना की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी  
जिला पन्ना मध्यप्रदेश